



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2013/माघ 17, 1934

No. 301]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2013/MAGHA 17, 1934

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2013

का.आ. 325(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 9 मई, 2008 को प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 9 मई, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1122(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में "धारा 4 के खण्ड (च) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नियोक्ताओं के संगठनों के परामर्श से नियुक्त" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 32 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या 32 - श्री सुदर्शन सरीन

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एआईएमओ

एआईएमओ केन्द्रीय कार्यालय, जीवन साहकर

चौथी मंजिल, सर पी.एम. रोड,

मुम्बई-400001

email aimoindia@aimoindia.com

aicosmia@yahoo.co.in

[सं. यू-16012/3/2007-एसएस. I]

अनूप चन्द्र पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2013

S.O. 325(E).— In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1122 (E), dated 9th May, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 9th May, 2008.

In the said notification under the heading "Appointed by the Central Government under clause (f) of Section 4 in consultation with organisations of employers recognised by the Central Government for the purpose" against S. No. 32, the following entries shall be substituted namely :—

S.No. 32- Shri Sudershan Sareen,

National Vice-President, AIMO,

AIMO Central Office at Jeeven, Sahakar,

4th Floor,

Sir P.M. Road,

Mumbai-400 001.

e-mail : aimoindia@aimoindia.com

aicosmia@yahoo.co.in

[No. U-16012/3/2007-SS-I]

ANUP CHANDRA PANDEY, Jt. Secy.